प्रन्यास विधान

श्री रघुनाथ पीर धूणी एवं मेघवाल समाज महासभा विकास न्यास

मुख्यालय: ढालोप, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राज.)

संक्षिप्त जानकारी

ऐतिहासिक भूमिका के संदर्भ में यह है कि श्री रघुनाथ पीर धूणी ग्राम ढालोप, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राज.) में संवत् 1005 से है. यह स्थान अरावली पर्वतमाला के निकट स्थित है, जहां पर मेघवाल जाति के संत श्री रघुनाथ पीर हुए जिन्होंने प्राणी मात्र को सत्य, दया, भक्ति-भाव का संदेश दिया. अंध विश्वास, छुआछूत, पशु बलि का विरोध करते हुए मेघवाल जाति के उत्थान के लिए अथक प्रयत्न किये। महाराणा हमीर के स्वागत हेतु संत श्री रघुनाथ पीर ने ढालोप गांव से करीब एक किलोमीटर तक निर्माणाधीन दीवार (चान्दा) को चलाकर अपने इस चमत्कार से प्रभावित किया, जिस पर महाराणा ने 116 बीघा भूमि भेंट की, श्री रघुनाथ पीर के निर्वाण के पश्चात समाज अधिकतर व्यक्ति प्रभावित होकर चन्दे की राशि एकत्रित कर धूणी का निर्माण कार्य करवाया जहाँ पर श्री रघुनाथपीर धूणी व्यवस्था, देखरेख एवं समाज के विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ है।

नियम 1. प्रन्यास का नाम

इस प्रन्यास का नाम "श्री रघुनाथ पीर धूणी एवं मेघवाल समाज महासभा विकास न्यास, धूणी ढालोप, तहसील-देसूरी, जिला-पाली (राज.)" है व रहेगा।

नियम 1.1 - परिभाषाएँ (Definitions)

इस विधान में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों की परिभाषाएँ इस प्रकार होंगी:

- **नियम 1.1.1 न्यास (Trust):** 'न्यास' से तात्पर्य "श्री रघुनाथ पीर धूणी एवं मेघवाल समाज महासभा विकास न्यास, ढालोप" से है, जो इस विधान के अंतर्गत पंजीकृत और संचालित है।
- **नियम 1.1.2 पुजारी (Priest):** 'पुजारी' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसे न्यास द्वारा मंदिर/धूणी/ चमत्कारी दीवार में नियमित पूजा-अर्चना, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों के संपादन हेतु नियुक्त किया गया हो। यह पद सेवा आधारित होगा, मालिकाना नहीं। पुजारी शब्द को विधान संशोधन से पीर के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।
- **नियम 1.1.3 न्यास की सम्पत्ति (Trust Property):** इससे तात्पर्य न्यास के नाम पंजीकृत समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति, भूमि, भवन, दान-पात्र की राशि, बैंक जमा, आभूषण और समाज / श्रद्धालु द्वारा भेंट की गई हर वस्तु से है। यह न्यास की अमानत होगी।
- **नियम 1.1.4 परगना (Pargana):** "परगना" से तात्पर्य समाज के उन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों या गांवों के समूह से है, जो पारंपरिक रूप से प्रशासनिक या सामाजिक इकाई के रूप में पहचाने जाते हैं। जिसे वर्तमान में तहसील के नाम से जाना जाता है।
- **नियम 1.1.5 गांव (Village):** 'गांव' से तात्पर्य उन राजस्व गांवों या ढाणियों से है जहाँ मेघवाल समाज के परिवार निवास करते हैं और जो न्यास की परिधि / कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- **नियम 1.1.6 सूची (List/Schedule):** 'सूची' से तात्पर्य न्यास के सदस्यों, पदाधिकारियों, प्रन्यासियों या न्यास से संबंधित गांवों की उस अद्यतन (Updated) सूची से है जिसे महासभा द्वारा एक चुनाव कार्यकाल में अनुमोदित किया गया हो।
- **नियम 1.1.7 मेघवाल (Meghwal):** 'मेघवाल' से तात्पर्य उस हिंदू जाति/समुदाय से है जो इस न्यास की मूल आधारशिला है जो भारत के संविधान की अनूसूची में 46 नम्बर पर दर्ज है और जिनके कल्याण हेतु इस न्यास का सृजन किया गया है।
- **नियम 1.1.8 गौत्र (Gotra):** 'गौत्र' से तात्पर्य मेघवाल समाज के भीतर प्रचलित उन कुल-वंशों या उप-जातियों से है, जो सामाजिक पहचान और वंशावली निर्धारण का आधार हैं।

- **नियम 1.1.9 धार्मिक तिथियां (Religious Dates):** इससे तात्पर्य उन विशिष्ट दिवसों, पर्वो या तिथियों (जैसे-मेला तिथि वैशाख शुक्ल एकादशी एवं द्वादशी, संत निर्वाण तिथि आदि) से है जिन्हें हिंदू पंचांग के अनुसार न्यास द्वारा आधिकारिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
- **नियम 1.1.10 आदेश (Order):** आदेश- से तात्पर्य प्रन्यास मण्डल या सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिखित रूप में जारी किए गए उन निर्देशों से है, जो न्यास के कार्यों, अनुशासन या प्रबंधन हेतु अनिवार्य हों।
- **नियम 1.1.11 विधान (Constitution/Bylaws):** 'विधान' से तात्पर्य इन नियमों, उप-नियमों और निर्देशों के समूह से है, जिसके आधार पर न्यास का पंजीकरण, संचालन और प्रबंधन किया जाता है।
- **नियम 1.1.12 सेवादार:** सेवादार से तात्पर्य है कि श्री रघुनाथ पीर के उपदेशो एवं आस्था मे विश्वास रखने वाले व्यक्ति / श्रद्धालुओ से है जो न्यास द्वारा आयोजित कार्यक्रमो, न्यास के अधीन आने वाले परिसर में निःशुल्क सेवाये उपलब्ध कराये।
- **नियम 1.1.13 बैंक:** बैंक से तात्पर्य है भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन संचालित रहने वाले संस्था है जो समाज के विकास हेतु पैसे का संग्रहण एवं लेन देन करती हैं। समाज एवं न्यास के उत्थान के लिये श्री रघुनाथ पीर मिनी बैक ढालोप से है।
- **नियम 1.1.14 ब्लड बैंक:** ब्लड बैंक से तात्पर्य हैं चिकित्सा विभाग के मानको द्वारा खून की उपलब्धता के लिये स्टोरेज से है। जो समाज एवं मानव सेवा हेतु श्री रघुनाथ पीर ब्लड बैंक ढालोप से है।
- **नियम 1.1.15 विश्वविद्यालय:** विश्वविद्यालय से तात्पर्य हैं यूजीसी एवं उच्च शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संस्थान है जिसमे शिक्षा, ईश्वरीय योग संबंधित है जो श्री रघुनाथ पीर योग विश्वविद्यालय ढालोप से है।
- **नियम 1.1.16 भोजनशाला:** भोजनशाला से तात्पर्य है कि धूणी परिसर में श्रद्धालुओ के लिये न्यूनत मूल्य पर चाय एवं भोजन उपलब्ध करवाने के स्थान से है।
- **नियम 1.1.17 कर्मचारी:** कर्मचारी से तात्पर्य है कि धूणी परिसर में व्यवस्थाओ के लिये न्यास द्वारा योग्यताधारीयो को उनके योग्यता के अनुरूप पारिश्रमिक वेतन पर अस्थायी तोर पर नियुक्त करना।
- **नियम 1.1.18 बजट:** बजट से तात्पर्य है कि न्यास द्वारा प्रतिवर्ष होने वाले आय व्यय खर्च से है। जो कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष द्वारा प्रबंध कार्यकारिणी के अनुमोदन से जनरल सभा में पेश किया जायेगा।

2. पंजीकृत कार्यालय

इसका पंजीकृत कार्यालय श्री रघुनाथ पीर धूणी एवं मेघवाल समाज महासभा विकास न्यास ग्राम-ढालोप-306603, तहसील-देसूरी, जिला-पाली, (राज.) है व रहेगा।

3. प्रन्यास का कार्यक्षेत्र

समस्त राजस्थान एवं राजस्थान के प्रवासी मेघवाल समाज जो भारत मे कही भी निवास करता हो है व रहेगा।

4. प्रन्यास का उद्द्देश्य

1. श्री रघुनाथ पीर धूणी समाधि, मंदिर की पूजा, धार्मिक पवित्रता बनाए रखना.
2. इस स्थान की मरम्मत, लिपाई-पुताई साज सजावट करना कर धर्मशाला मंदिर का जीर्णोद्धार, आवश्यक भवन निर्माण कार्य करवाना.
3. मेघवाल समाज / श्रद्धालुओ से भेंट स्वीकार करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना.
4. मंदिर, समाधि स्थल व चमत्कारी दीवार पर दान पात्र लगाकर बाहर ताले लगाकर दान की राशि एकत्रित करना एवं न्यासीयों के समक्ष खोलकर इसका जमा खर्च रोकड बही में दर्ज किया जावेगा.
5. न्यास की चल व अचल सम्पत्ति देखरेख, सुरक्षा व्यवस्था एवं आय वृद्धि की व्यवस्था करना.
6. समाज में धार्मिक शैक्षणिक व नैतिक कार्यक्रम का आयोजन कर प्रचार व प्रसार करना.

(अ) शैक्षणिक उत्थान

1. न्यास के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवो मे शिक्षा को बढावा देने हेतु आधुनिक वाई फाई लाईब्रेरी की स्थापना करना एवं इसकी संचालन हेतु गांव के सेवानिवृत कर्मचारी की निशुल्क नियुक्त करना।
2. न्यास के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवो मे समाज द्वारा निर्मित सभा भवन का उपयोग उपभोग करना।
3. न्यास के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवो मे निवासरत् गरीब व मेघावी छात्र छात्राओ के लिये शिक्षण सामग्री, पोशाक एवं छात्रवृति की व्यवस्था करना।
4. न्यास के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवो मे निवासरत उच्च व्यवसायिक शिक्षा हेतु बालक बालिकाओ को ऋण उपलब्ध करवाना।
5. शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय व विद्यालय की स्थापना।

(ब) सामाजिक उत्थान

1. न्यास के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवो मे निवासरत् व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त या इच्छुक युअवाओ (महिला, पुरूष) के व्यवसाय हेतु न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।
2. न्यास के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवो मे निवासरत गरीब बालिकाओ के विवाह हेतु अनुदान देना या सामुहिक विवाह हेतु कम से कम 11 जोडे होने पर सामुहिक विवाह का आयोजन करना।
3. न्यास के कार्य क्षेत्र के अधीन आने वाले गांवो मे निवासरत वृद्ध व बीमार व्यक्तियो के लिये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना। जगह जगह निःशुल्क जांच एवं परामर्श शिविर तथा ऑपरेशन हेतु कैम्पो का आयोजन करना।
4. बैक की स्थापना करना।
5. ब्लड बैंक की स्थापना करना एवं स्वास्थ्य हेतु चिकित्सा कैम्पो का आयोजन करना।
6. भोजनशाला की स्थापना करना एवं संचालन हेतु कर्मचारी नियुक्त करना।
7. परम्परागत विधान के अनुसार पूजा व अर्चना करना। जिसमें श्री जरगाधाम मेले हेंतु ढालोप धुणी से प्रतिवर्ष श्री रघुनाथ पीर की सवारी निकालना जो सवारी विधि विधान के अनुसार ढालोप के परमार परिवार द्वारा सिर पर सुशोभित कर धुणी से रवाना की जायेगी जो आगे से आगे प्रत्येक गांव से जायेगी तथा रात्रि ठहराव भाटी का बास (दरवाजा) सादडी एवं काम्बा में होगा।
8. मेघवाल समाज की एकता एवं अखण्डता के सतत् प्रयास करना कुरीतियों, अंधविश्वासों को दूर करना, धार्मिक भावना को जागृत कर मानव प्रेम को उजागर करना.
9. इस स्थान या इससे बाहर की समस्त सम्पत्ति (चल, अचल) जो मेघवाल समाज द्वारा सार्वजनिक निर्मित जैसे सामुदायिक भवन, पोल, प्याउ या संरक्षण में है वो तमाम सम्पत्ति सम्पूर्ण मेघवाल समाज की होगी, व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत हक व अधिकार प्राप्त नहीं होगें एवं उक्त सम्पत्ति न्यास निहित होगी जिसके विकास, संवर्धन व सरक्षण का दायित्व न्यास का होगा।
10. इस स्थान या इससे बाहर की समस्त सम्पत्ति (चल, अचल) पर रचनात्मक कार्य करते हुए सर्वोत्तम सुख-सुविधाएँ उपलब्ध करवाना.
11. इस स्थान या इससे बाहर की समस्त सम्पत्ति (चल, अचल) पर साधारण सभा, महासभा, अधिवेशन, धार्मिक विराट सम्मेलन एवं वर्ष में एक बार मेले का आयोजन करना। मेला प्रतिवर्ष वैशाख सुदी ग्यारस, बारस को भरा जायेगा।
12. भोजनशाला एवं धूणी के संचालन हेतु प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर से 1+1=2 के.जी. अनाज एवं प्रतिघर 50/- रूपये प्रतिवर्ष चंदा / उगाही प्राप्त करना।
13. समयानुसार उचित कार्यक्रम बहुमत से पारित कर कार्यान्वित करना.

5. प्रन्यास मण्डल

- **उपनियम 5.1:** मण्डल - इस प्रन्यास में 101 सदस्य होंगे।
- **उपनियम 5.2:** कार्यकाल - कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
- **उपनियम 5.3:** चुनाव - कार्यकाल पूर्ण होने के 1 माह पूर्व न्यास प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कर चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगी।

6. प्रन्यास मण्डल के सदस्यों की योग्यता

1. आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
2. न्यास के कार्यक्षेत्र में निवासरत मेघवाल हो।
3. मानसिक स्थिति संतुलित हो.
4. दिवालिया न हो.
5. परोक्ष-अपरोक्ष रूप से प्रन्यास की सम्पत्ति पर कुदृष्टि नहीं रखता हो.
6. जो प्रन्यास का वेतन भोगी सदस्य नहीं हो.
7. समाज के धार्मिक रिवाजों का विरोधी नहीं हो.
8. सद्व्यवहारो हो.
9. न्याय की किसी सभा, उत्सव में मद्यपान करके नहीं आयेगा।

7. रिक्त पदों की पूर्ति

निम्न अवस्थाओं में प्रन्यासी मण्डल या समिति मण्डल की अवशेष अवधि के लिए प्रतिनिधियों में सदस्य चुन सकेगी:

- **उपनियम 8.1:** किसी के त्याग पत्र देने पर,
- **उपनियम 8.2:** स्वर्गवास होने पर,
- **उपनियम 8.3:** प्रन्यास की कार्यवाही में रूचि नहीं लेने पर या जो लगातार 3 बैठकों में बिना अनुमति के अनुपस्थित रहा हो।
- **उपनियम 8.4:** किसी भी कारण से प्रन्यास के प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा किसी भी सदस्य को निष्कासित कर सकेंगे परन्तु निष्कासन से पूर्व सदस्य को लिखित मे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर सुनवायी का अवसर दिया जायेगा।

8. विधान में संशोधन

विधान में संशोधन का प्रारूप लचीला रखा गया है, परन्तु विधि विधान के अनुसार संशोधन की प्रक्रिया अपनायी जाकर प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदन तत्पश्चात प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित विधान को जनरल सभा बुलाई जाकर सुनाया, समझाया व पढाया जायेगा। जिसके बाद जनरलसभा में संशोधित विधान के अनुमोदन होने पर देवस्थान विभाग द्वारा प्रमाणित करवाया जायेगा जो देवस्थान विभाग द्वारा प्रमाणित पश्चात् लागू व प्रभावी होगा।

- **उपनियम 9.1:** विधान में संशोधन हेतु सचिव द्वारा संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया जायेगा जो ड्राफ्ट न्यास, धूणी व समाज के विकास एकता उत्थान को ध्यान रखते हुये आगामी दूरदर्शी लाभ को देखकर किया जायेगा।
- **उपनियम 9.2:** सचिव द्वारा विधान में संशोधन के ड्राफ्ट को प्रबंध कार्यकारिणी के समक्ष रखा जायेगा। जिस पर प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा विचार विमर्श कर आवश्यक संशोधन करते हुये अनुमोदित करे, जो अनुमोदन प्रबंध कार्यकारिणी के एक तिहाई सदस्यो द्वारा अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- **उपनियम 9.3:** प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा अनुमोदित संशोधित विधान को अध्यक्ष द्वारा जनरल सभा में पेश किया जायेगा जो बहुमत से पारित किया जायेगा। जिसमें ध्वनि मत या मतदान की प्रक्रिया अपनायी जा सकेगी।
- **उपनियम 9.4:** प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा विधान में छोटे व आवश्यक संशोधन अपने स्तर पर करेगा जिसमें जनरलसभा का बहुमत आवश्यक नही होगा।

नोट: न्यास की आमसभा दिनांक 18.1.2026 में पारित प्रस्ताव संख्या 1 के अनुसरण में पीर प्रथा (पद) समाप्त किये जाने से विलोपित किया गया।

9. पीर प्रथा की समाप्ति एवं पुजारी पद का सृजन

- **उपनियम 10.1:** प्राचीन काल से चली आ रही पीर पद की संज्ञा एवं प्रथा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। इसके स्थान पर अब 'पुजारी' शब्द को प्रतिष्ठापित किया जाता है।
- **उपनियम 10.2:** पुजारी की नियुक्ति पूर्णतः योग्यता, धार्मिक ज्ञान और सदाचार के आधार पर प्रन्यास मण्डल द्वारा की जाएगी। पुजारी केवल धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा-अर्चना के लिए उत्तरदायी होंगे, उनका प्रन्यास के प्रशासनिक या वित्तीय निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।
- **उपनियम 10.3:** पुजारी की नियुक्ति न्यास प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा निश्चित अवधि के लिये पूणकालीन अस्थायी वैतनिक के रूप में दी जायेगी।
- **उपनियम 10.4:** पीर प्रथा समाप्ति संशोधन दिनांक 18.01.2026 से पूर्व समाज द्वारा नियुक्त पीर अपने जीवनकाल तक पीर के रूप में जाने व पहचाने जायेगे जिनके भरण पोषण के संबंध में स्वयं अपने स्तर पर व्यवस्था करेगे तथा इनके अनुयायी से दान दक्षिणा व सम्मान प्राप्त कर सकेगे, व्यक्ति विशेष द्वारा आमंत्रण पर आयोजनो में भाग ले सकेगे। निवास हेतु पूर्व में निवासरत् स्थान का उपयोग अपने जीवनकाल तक कर सकेगे।

10. प्रन्यास के पदाधिकारी एवं सदस्यगण

- **उपनियम 11.1:** प्रन्यास मण्डल में 360 सदस्य होगे जो सदस्य संख्या के अनुसार घटाये बढाये जा सकेगे।
- **उपनियम 11.2:** प्रन्यास मण्डल की प्रबंध कार्यकारिणी में 101 सदस्यों होगे। जिसमे प्रबंध कार्यकारिणी के 26 तथा शेष 74 सदस्य होगे।
- **उपनियम 11.3:** प्रबंध कार्यकारिणी में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री, लेखापर्यवेक्षक, प्रवक्ता के पद के पदाधिकारी होगे।

11. चुनाव की प्रक्रिया

महासभा में मेघवाल समाज के 360 गांव है, महासभा के सदस्यों का चयन प्रत्येक गांव का एक प्रतिनिधि के आधार पर हुआ है. महासभा के सदस्य लोकतांत्रिक तरीके से प्रन्यास मण्डल के सदस्यों का चयन करेगी. प्रन्यास मण्डल लोकतांत्रिक आधार पर कार्यकारिणी पदाधिकारीगण का चुनाव करेगा।

संशोधन सदस्यता एवं चयन प्रक्रिया में परिवर्तन

- **उपनियम 12.1:** 'एक गाँव से एक प्रतिनिधि' की पुरानी व्यवस्था को समाप्त किया जाता है। अब कोई भी समाज रत्न जो न्यास की सेवा करना चाहता है, वह निर्धारित आवेदन पत्र भरकर सदस्यता हेतु आवेदन कर सकेगा।
- **उपनियम 12.2 (सदस्यता शुल्क):** सदस्यता हेतु आवेदन के साथ निर्धारित सदस्यता शुल्क (जो समय-समय पर प्रन्यास मण्डल द्वारा तय किया जाएगा) जमा करना अनिवार्य होगा। जो राशि न्यास के खाते में प्रति एक चुनाव यानि तीन वर्ष में एक बार चुनाव से पूर्व जमा करवानी अनिवार्य होगी। अन्यथा मतदाता सूची से नाम स्वतः हट जायेगा।

पदों का पुनर्गठन (नवीन पद सोपान - Hierarchy)

पुराने पदों (महासचिव व मंत्री) को समाप्त कर नवीन पद सोपान निम्न प्रकार सृजित किया जाता है:

1. **संरक्षक (Patron):** समाज के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों हेतु इस नवीन पद का सृजन किया जाता है, जो न्यास को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
2. **अध्यक्ष (President)**
3. **वरिष्ठ उपाध्यक्ष (Senior Vice President)**
4. **उपाध्यक्ष (Vice President)**

5. **सचिव (Secretary):** (पुराने महासचिव / मंत्री के स्थान पर)
6. **सह-सचिव (Joint Secretary)**
7. **कोषाध्यक्ष (Treasurer)**
8. **सह-कोषाध्यक्ष (Assistant Treasurer)**
9. **प्रचार मंत्री (Publicity Minister)**

12. संशोधित धारा चुनाव एवं निर्वाचन प्रक्रिया

- **12.1 निर्वाचन का स्वरूप:** न्यास का चुनाव पूर्णतः लोकतांत्रिक होगा। चुनाव की घोषणा वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त होने से 30 दिन पूर्व की जाएगी।
- **12.2 निर्वाचक मण्डल (Electoral College):** अब सदस्यता केवल गाँव के प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होगी। वे सभी व्यक्ति जिन्होंने निर्धारित आवेदन पत्र भरा है, सदस्यता शुल्क जमा किया है और जिनकी सदस्यता प्रन्यास मण्डल द्वारा स्वीकृत है, वे चुनाव में भाग लेने और मतदान करने के पात्र होंगे।
- **12.3 चुनाव अधिकारी की नियुक्ति:** चुनाव संपन्न कराने हेतु प्रन्यास मण्डल एक निष्पक्ष 'मुख्य चुनाव अधिकारी' की नियुक्ति करेगा, जो चुनाव नही लड सकेगा। चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
- **12.4 नामांकन एवं पात्रता:** कोई भी वैध सदस्य किसी भी पद हेतु नामांकन भर सकता है, बशर्ते वह नियम 7 में वर्णित योग्यताओं को पूरा करता हो। संरक्षक पद हेतु निर्वाचन नहीं होगा, इसका चयन प्रन्यास मण्डल की सहमति से वरिष्ठता और सेवा के आधार पर किया जाएगा।
- **12.5 निर्वाचन की पद्धति:** यदि किसी पद हेतु एक से अधिक उम्मीदवार हैं, तो निर्वाचन गुप्त मतदान (Secret Ballot) पद्धति से होगा। समान मत होने की स्थिति में 'लॉटरी' का प्रयोग किया जा सकेगा।
- **12.6 सदस्यता शुल्क एवं नवीनीकरण (Membership Fee):**
    - साधारण सदस्य राशि: 550 रुपये (3 वर्ष हेतु)
    - आजीवन सदस्य राशि: 5150 रुपये (एकमुश्त)

  केवल वही सदस्य मतदान कर सकेंगे जिनका सदस्यता शुल्क चुनाव की तारीख से 15 दिन पूर्व तक जमा हो चुका हो और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में नाम होगा।

13. प्रन्यास मण्डल के पदाधिकारी एवं सदस्य (मुख्य सूची)

पद का नाम	संख्या
अध्यक्ष	1
वरिष्ठ उपाध्यक्ष	3
उपाध्यक्ष	11
सचिव	1
सह-सचिव	5
कोषाध्यक्ष	1
सह-कोषाध्यक्ष	5
लेखा परीक्षक	5
प्रचार मंत्री	5
वित्त मंत्री	5

14. समितियों का गठन

विविध कार्यों के निष्पादन की सुविधा हेतु प्रन्यास मण्डल विविध समितियों का गठन करने हेतु सक्षम है व रहेगा.

समितियों का नाम एवं गठन:

- **अनुशासन एवं विवाद निवारण समिति:** न्यास के आंतरिक विवादों के निपटारे हेतु।
- **निर्माण एवं जीर्णोद्धार समिति:** मंदिर एवं धर्मशाला व अन्य के निर्माण कार्यों की देखरेख हेतु।
- **मेला एवं उत्सव प्रबंधन समिति:** वार्षिक मेलों और धार्मिक आयोजनों हेतु।
- **शिक्षा एवं समाज कल्याण समिति:** समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं एवं निर्धन परिवारों की सहायता हेतु।
- **वित्त एवं अंकेक्षण (Audit) समिति:** आय-व्यय की पारदर्शिता की जांच हेतु।

15. धन राशि जमा करवाना व आहरण करना

प्रन्यास मण्डल के खाते में कोई भी रकम जमा करवा सकता है।

- कोषाध्यक्ष 500 /- रूपयें तक लेन-देन बिना प्रस्ताव के अपने स्वविवेक से अति आवश्यक कार्यों में कर सकेगा, जिसका विस्तृत विवरण हिसाब पुस्तिका में दर्ज करेगा।
- 10,000/- दस हजार रूपयें से कम राशि का खर्च कार्यकारिणी के सामान्य बहुमत के प्रस्ताव के आधार पर अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष खाते से राशि निकाल सकेंगे।
- 10,000/- से अधिक की राशि प्रन्यास मण्डल के सामान्य बहुमत के आधार पर प्रस्ताव के अनुसार आहरण किया जायेगा।

वित्तीय शक्तियों का आधुनिक संशोधन (Financial Limits)

(1988 की तुलना में महंगाई को देखते हुए सीमा बढ़ाना आवश्यक है)

- **उपनियम 18.1:** कोषाध्यक्ष की स्वविवेक खर्च सीमा 500/- से बढ़ाकर 5,000/- रुपये की जाती है।

- **उपनियम 18.2:** अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खर्च की सीमा 10,000/- से बढ़ाकर 50,000/- रुपये की जाती है। इससे अधिक का व्यय प्रन्यास मंडल के बहुमत प्रस्ताव से ही होगा।

16. कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं कर्तव्य

- **अध्यक्ष:** प्रन्यास मण्डल की सामान्य देख-रेख का कर्तव्य अध्यक्ष का होगा. वह प्रत्येक कार्य की जानकारी रखेगा।
- **उपाध्यक्ष:** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारा कार्यभार अध्यक्ष की तरह सम्भालेगा. बैठक की अध्यक्षता बहुमत के आधार पर तय की जा सकेगी।
- **कोषाध्यक्ष:** आय-व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा कोषाध्यक्ष रखेगा. उसकी अनुपस्थिति में वित्तमंत्री कार्यभार सम्भालेगा।
- **सह-कोषाध्यक्ष:** कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सौपा गया कार्य पूर्ण करेगे या न्यास द्वारा सौपा गया अन्य कार्य पूर्ण करेगे।
- **सचिव:** बैठक की कार्यवाही का विवरण सचिव लेखबद्ध करेगा और पत्र व्यवहार करेगा. सचिव की अनुपस्थिति में सह-सचिव सहयोग करेंगे।
- **सह-सचिव:** सचिव की अनुपस्थिति में सौपा गया कार्य पूर्ण करेगे या न्यास द्वारा सौपा गया अन्य कार्य पूर्ण करेगे।
- **प्रचार मंत्री:** समाज में प्रन्यास मण्डल के कार्यों का प्रचार-प्रसार करेंगे।
- **संगठन मंत्री:** न्यास के सरचात्मक ढाचे के लिये समय समय पर योजना प्रबंध कार्यकारिणी को देना।
- **प्रवक्ता:** न्यास की गतिविधि की सूचना प्रकाशित करवाना जिसमें प्रिंट मिडिया एवं सोशल मिडिया का उपयोग करना।
- **लेखापर्यवेक्षक:** प्रतिवर्ष प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा आय व्यय की लेखा रिपोर्ट तैयार करना।
- **संरक्षक:** प्रबंध कमेटी के सलाह देना एवं न्यास के विवाद की स्थिति आवेदन पर जांच करना और मध्यस्थता से विवाद का निपटारा करना।

17. डिजिटल प्रबंधन एवं पारदर्शिता (Digital Governance)

- **उपनियम 17.1 (डिजिटल रिकॉर्ड):** प्रन्यास के समस्त दस्तावेज, सदस्य सूची और ऐतिहासिक अभिलेखों का 'डिजिटल बैकअप' (Cloud Storage) पर सुरक्षित रखा जाएगा।
- **उपनियम 17.2 (ऑनलाइन दान):** न्यास के नाम से एक आधिकारिक बैंक खाता और UPI/QR कोड की व्यवस्था होगी। प्राप्त हर ऑनलाइन दान की रसीद डिजिटल माध्यम (WhatsApp/Email) से दानदाता को तुरंत भेजी जाएगी।
- **उपनियम 17.3 (CCTV सुरक्षा):** मंदिर, दान-पात्र और धर्मशाला परिसर की सुरक्षा हेतु आधुनिक CCTV कैमरों की व्यवस्था रहेगी, जिसका नियंत्रण कार्यालय के पास होगा।

18. शिक्षा एवं युवा विकास कोष (Educational Corpus)

- **उपनियम 19.1:** न्यास की कुल वार्षिक आय का कम से कम 10% हिस्सा मेघवाल समाज के मेधावी छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और तकनीकी शिक्षा हेतु आरक्षित रहेगा।
- **उपनियम 19.2:** भविष्य में धूणी परिसर में 'श्री रघुनाथ पीर आधुनिक पुस्तकालय एवं डिजिटल लर्निंग सेंटर' की स्थापना की जाएगी।

20. महिला एवं युवा विंग का गठन (Inclusion)

- **उपनियम 20.1:** प्रन्यास मण्डल में समाज की शिक्षित महिलाओं और युवाओं (18-35 वर्ष) को 'विशेष आमंत्रित सदस्य' के रूप में जोड़ा जाएगा ताकि भविष्य का नेतृत्व तैयार हो सके।

21. पर्यावरण एवं संपदा संरक्षण (Sustainability)

- **उपनियम 21.1:** धूणी की 116 बीघा भूमि और भविष्य में अर्जित संपत्तियों पर कोई भी निजी कब्जा नहीं कर सकेगा। इस भूमि पर 'नंदन वन' (वृक्षारोपण) और गौ-सेवा जैसे कार्य किए जाएंगे।

- **उपनियम 21.2:** परिसर में सौर ऊर्जा (Solar Power) और जल संचयन (Water Harvesting) की आधुनिक प्रणाली लागू की जाएगी।

22. विवाद निवारण तंत्र (Internal Dispute Resolution)

- **उपनियम 22.1:** किसी भी आंतरिक विवाद की स्थिति में मामला पहले महासभा की अनुशासन समिति के समक्ष रखा जाएगा। कानूनी कार्यवाही से पहले समाज के स्तर पर समाधान का प्रयास अनिवार्य होगा।
- **22.2:** चुनाव संबंधि विवाद या न्यास संबंधि आपसी विवाद पर आपत्तिकर्ता मुख्य चुनाव अधिकारी या संरक्षक मंडल या अनुशासन समिति के समक्ष आपत्ति पेश करेगा।
- **22.3:** आपत्तिकर्ता अपनी आपत्ति समय सीमा मे कर सकेगा। चुनाव अधिकारी समय सीमा चुनाव के समय या निर्वाचन के एक माह तक कर सकेगा। चुनाव अधिकारी चुनाव के दौरान आपत्ति पर यथासंभव निर्वाचन आवेदन तारीख से पूर्व जांच कर अपने निर्णय सुनायेगा या निर्वाचन के पश्चात् आपत्ति पर एक माह के भीतर भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट अनुशासन समिति को सौपेगा। अनुशासन समिति संबंधित पक्षो को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने हेतु तलब करेगा, तत्पश्चात संबंधित पक्षो को सुनकर या आवश्यक हो तो बयान लेखबद्ध कर निर्णय सुनायेगा। संबंधित पक्षकार अनुशासन समिति के निर्णय से असन्तुष्ट होने पर एक माह के भीतर भीतर आपत्ति पत्र संरक्षक मंडल के समक्ष पेश करेगा। संरक्षक मंडल दोनो पक्षो को बुलाकर समझौता वार्ता के तहत मामले को निपटायेगा या विधी पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर मामले का निपटारा करेगा। संरक्षक मंडल के निर्णय के विरूद्ध व्यथित पक्ष सिविल न्यायालय की शरण ले सकेगा।
- **22.4:** व्यथित पक्ष उपनियम 22.3 की प्रक्रिया अपनाये बगैर न्यास के विरूद्ध सिविल न्यायालय, देवस्थान विभाग या पुलिस में सीधी कार्यवाही का पात्र नही होगा।
- **22.5 वाद का क्षेत्राधिकार:** भारत के कानुन एवं देसूरी न्याय क्षेत्र के अधीन रहेगा।

23. शास्ति या दण्ड

- **23.1:** कोई भी न्यासी, सदस्य, श्रद्धालु, वैतनिक कर्मचारी जो न्यास के विरूद्ध गतिविधि या धूणी की सम्पत्ति में अशांति या धार्मिक भावनाओ को भडकाना या क्रिया कलाप करेगा, तो प्रबंध कार्यकारिणी, अनुशासन कमेटी, संरक्षक मंडल बाद जांच दोनो पक्ष को सुनने के बाद आर्थिक शास्ति उस व्यक्ति पर अधिरोपित कर सकेगा जो उस व्यक्ति द्वारा विकास फण्ड में जमा करवायी जायेगी व शास्ति इतनी नही होगी कि वह व्यक्ति जमा न करा सके। शास्ति पूर्णतया दोनो पक्षो के समझौते के आधार पर होगी एवं धूणी की सौहार्दपूर्ण वातावरण के तहत होगी।
- **23.2:** शास्ति के विरूद्ध अंसतुष्ट पक्ष विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये सिविल न्यायालय में वाद कर सकेगा।

24. कार्मिक

- **24.1:** न्यास के संचालन हेतु न्यास नियमानुसार कार्मिको स्थाई व अस्थाई नियुक्त करेगा।
- **24.2:** न्यास द्वारा नियुक्त कार्मिको की भर्ती अनुसार एवं योग्यतानुसार करेगा।
- **24.3:** न्यास द्वारा नियुक्त कार्मिको का वेतन न्यास उनके पद व योग्यता के आधार पर तय करेगा।
- **24.4:** कार्मिको को वेतन न्यास कोष से किया जायेगा।
- **24.5:** कार्मिको की नियुक्ति एवं पद से हटाने का अधिकार प्रबंध कार्यकारिणी के पास रहेगा।
- **24.6:** कार्मिको की नियुक्ति पदो एवं वेतनमान कटौतीयों एवं सेवा नियमो में न्यास पृथक से आवश्यकतानुसार नियमावली बनायेगा और समय अनुसार बदलाव करेगा।

25. बजट

- **25.1:** न्यास प्रतिवर्ष धुणी विकास, संवर्धन एवं व्यवस्था के लिये बजट का निर्धारण करेगा, जिसमें धूणी में आय एवं व्यय के लिये उचित कदम उठाये जायेगे।

- **25.2:** न्यास धूणी मे आय प्राप्ति हेतु व्यवसायिक दुकानो, भोजनशाला, प्रसाद वितरण, मंदिर दर्शन फोटोग्राफी, उन्नत खेती, पार्किंग, धर्मशाला, शिक्षा कर, चिकित्सा कर, अन्य कार्य जो आय हितार्थ हो, न्यूनतम शुल्क (समय अनुसार बढोतरी) अधिरोपित कर सकेगा।
- **25.3:** प्रतिवर्ष बजट को कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष की मदद से तैयार करेगा और प्रबंध कार्यकारिणी की अनुशंसा से जनरल सभा में पेश करेगा।
- **25.4:** कोषाध्यक्ष, सह-कोषाध्यक्ष वित्तिय वर्ष में आय व्यय का एसेसमेंट लेखापर्यवेक्षक के निर्देशन में तैयार करेगा।